बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 20 सत्र- 188वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 28.3.2018 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की
अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 6.50 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद ने कार्यस्थगन के माध्यम से आई.जी.आई.एम.एस., पटना में वर्ष 1996-97 में कोबाल्ट थेरेपी मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर हुए घोटाले के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया। इसपर आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, श्री संजय प्रसाद से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के अंतर्गत कार्यस्थगन प्रस्तावों की अस्वीकृति के आधार संख्या- 2, 4, 5 एवं 24 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में माननीय सदस्या, श्रीमती राबड़ी देवी को छोड़कर राजद के माननीय सदस्यगण हाथों में पोस्टर दिखाते हुए सदन वेश्म में चले आये

तथा नारेबाजी करने लगे। जबकि प्रत्युत्तर में सत्तापक्ष के माननीय सदस्यगण भी आरोप लगाने लगे।

आसन से खड़े होकर माननीय उप सभापति महोदय ने अनुरोध किया कि आपलोग अपने स्थान पर चले जाएं। आसन के अनुरोध के बाद माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर वापस चले गये।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 171, 172, 173, 174, 175 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 176, 177, 178 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या– 179 अनागत हुआ।

आसन का निदेश

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने निदेश देने की कृपा की कि बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, माननीय सदस्य, बीच से क्यों क्रास कर रहे हैं । जब कोई माननीय सदस्य खड़े होकर अपनी सीट से बोल रहे होते हैं तो मैं देखता हूं कि माननीय सदस्यगण उनके सामने से गुजर जाते हैं । सभी माननीय सदस्यों को नियमावली की प्रतियां हमने उपलब्ध करा रखी हैं । कृपया उसका अध्ययन करें और सदन में, सदन की और अपनी गरिमा का ख्याल रखें । अभी सतीश जी पूरक पूछ रहे हैं और उनके पास से लोग जा रहे हैं । यह अच्छा नहीं लगता है ।

आसन का नियमन

पुन: आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि हम सभी लोगों को बोलने का पूरा अवसर देते हैं, विपक्ष को भी पूरा अवसर देते हैं। आप पूरा रिकार्ड उठाकर देख लीजिए, किसी भी डीबेट में आर.जे.डी. के दो माननीय सदस्य को मैंने बोलने का अवसर दिया। हमने आर.जे.डी. की सदस्य संख्या कम रहने के बावजूद दो सदस्य को हमेशा बोलवाया है और आप सभी लोगों का सहयोग भी मुझे मिला है। इसपर 3 तारीख को आपलोगों से चर्चा करूंगा ।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 171 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक सबूत है तो दे दीजिए, सरकार उसको देखेगी। यह किसानों के हित का मामला है और वहां तक राहत नहीं पहुंच पायी है तो उसको देख लें। माननीय मंत्री देखेंगे, ऐसा कहा गया है।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 173 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, विभागीय पदाधिकारी से जांच करा लीजिये। जो जवाब आया है, सही नहीं है। सुपौल जिले के 5 प्रखंड हैं, पांचों प्रखंड में वर्ष 2015, 2016 एवं 2017 में जो नाव चली, उसका भुगतान कितना हुआ, कितना बकाया है, जांच करा लीजिये। अगर जांच गलत है तो कार्रवाई हो। अगर पैसा नहीं दिया गया है तो पैसे का भुगतान करा दें। माननीय मंत्री, 15 दिनों में जांच कर रिपोर्ट भेजिये और उसकी प्रति विधान परिषद् को भी उपलब्ध करायें।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- अ-334, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या– 443, 446 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या–429 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री इसको गंभीरता से ले रहे हैं और अगर बिहार सरकार के नगर विकास विभाग के अधीन वह परिसर है तो माननीय मंत्री जी जांच कराकर कार्रवाई करेंगे और हमें भी इसकी जानकारी देंगे। इसपर माननीय मंत्री ने सहमति जताई।

तारांकित प्रश्न संख्या- 433 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री जांच कराकर और भौतिक सत्यापन कराकर बतायें।

3. आसन को सूचना

माननीय सदस्या, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव तथा माननीय सदस्य, श्री आदित्य नारायण पाण्डेय ने पंचायती राज के प्रतिनिधियों के साथ किये गये दुर्व्यवहार के संबंध में आसन का ध्यान आकृष्ट किया तथा इसमें संलिप्त पदाधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्यों ने जो सदन और आसन को सूचना दी है, सभी माननीय सदस्य उस घटना से मर्माहत हैं। माननीय मंत्री, आपको भी यह बात अच्छी नहीं लगी होगी, इसलिए सरकार इसपर संज्ञान ले। माननीय सदस्या, आप पूरा विवरण लिख कर दीजिए, मैं अपने स्तर से जांच करके कार्रवाई करूंगा।

4. शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान निम्नांकित माननीय सदस्यों ने विभिन्न विषयों की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री दिलीप राय
2. श्री राधाचरण साह

आसन का निदेश

शून्यकाल की सूचनाओं पर आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि ठीक है, सरकार को दे दीजिए।

5. ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत पंडौल प्रखंड के पाही पालक मुसहरी प्राथमिक विद्यालय के भवन निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव द्वारा नालन्दा जिला के अवर निबंधक, हिलसा द्वारा किये गये कार्यों की जाँच विभाग से कराने एवं अन्यत्र स्थानान्तरण किए जाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से 2.4.2018 को उत्तर होगा।

3. माननीय सदस्य, श्री सुबोध कुमार द्वारा सुपौल जिला के शिक्षा विभाग के डी.पी.ओ. (स्थापना) के विरुद्ध कार्रवाई करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, वित्त विभाग के किसी पदाधिकारी से जांच कराकर जल्दी कार्रवाई करें।

4. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा मोतीहारी झील को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने एवं झील में पानी का प्रवाह सुनिश्चित करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

6. ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

1. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी के मदरसा जकरिया सिराजुल मुसलमीन, कोरियापट्टी, देवीपुर भाया-गनपतगंज, प्रखंड-राघोपुर, जिला सुपौल को जानेवाली सड़क को अतिक्रमण मुक्त करने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से 3.4.2018 को उत्तर होगा।

(अंतराल)

ध्यानाकर्षण

5. माननीय सदस्य, डा० सूरज नन्दन प्रसाद द्वारा गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक दयानन्द उच्च विद्यालय, मीठापुर, पटना में अवैध नियुक्तियों की जाँच कर उसे रद्द करने एवं अवैध निकासी की वापसी के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राणा रणधीर सिंह ने वक्तव्य दिया।

6. माननीय सदस्य, श्री लालबाबू प्रसाद द्वारा बिहार इंटरमीडिएट शिक्षा परिषद्, पटना में व्याप्त अव्यवस्था के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राणा रणधीर सिंह ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि पूरे राज्य में अभी 19 तारीख से व्यवस्था शुरू हुई है। अभी 9 दिन ही हुए हैं और इतना बड़ा मैनेजमेंट है। माननीय सदस्यों की चिंता जायज है, वे रोज

समस्या से जूझते रहते हैं। माननीय मंत्री, विभागीय पदाधिकारी को निदेश दीजिए और क्या कठिनाई है, इसको अविलंब दूर कीजिए। सुचारु रूप से काम करने की दिशा में सरकार क्या निर्णय ले सकती है, इसको देखिए।

7. माननीय सदस्य, प्रो० नवल किशोर यादव द्वारा सत्र-2014-16 एवं 2015-17 में डी.एल.एड. का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षकों की परीक्षा नहीं लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राणा रणधीर सिंह ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

माननीय उप सभापति महोदय ने आसन से यह नियमन देने की कृपा की कि आप लोगों के साथ, माननीय वित्त मंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी अपने पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे, उसमें आपलोग जो विद्वान माननीय सदस्य हैं, वहीं रहेंगे, उसमें इस समस्या के समाधान के लिए अलग से भी हमलोग चर्चा करेंगे।

8. माननीय सदस्य, डा० उपेन्द्र प्रसाद द्वारा गया जिलान्तर्गत इमामगंज प्रखंड के नवडीहा एवं छकरबंधा पंचायत को जोड़ने वाली रोहवे ग्राम स्थित लब्जी नदी पर बने पुल की मरम्मति के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री नन्द किशोर यादव ने वक्तव्य दिया।

9. माननीय सदस्य, सर्वश्री अवधेश नारायण सिंह, प्रो० नवल किशोर यादव एवं डा० सूरज नन्दन प्रसाद द्वारा सिद्धेश्वरी संस्कृत उच्च विद्यालय, पचरूखिया, भोजपुर के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मियों के वेतन भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राणा रणधीर सिंह ने वक्तव्य दिया परंतु सदन की भावना को देखते हुए इसे स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।

10. माननीय सदस्य, सर्वश्री प्रो० संजय कुमार सिंह, दिलीप कुमार चौधरी, संजीव कुमार सिंह, देवेश चन्द्र ठाकुर, डा० सूरज नन्दन प्रसाद, संजीव श्याम

सिंह, मदन मोहन झा, केदार नाथ पाण्डेय एवं नीरज कुमार द्वारा राज्य के विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों का सातवां पुनरीक्षित वेतनमान् 01.01.2016 से लागू करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राणा रणधीर सिंह ने वक्तव्य दिया।

ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य

2. माननीय सदस्य, श्री नीरज कुमार के मोकामा टाल क्षेत्र में मसूर खरीद हेतु कार्रवाई सुनिश्चित करने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का बक्तव्य।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री मदन सहनी ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन एवं माननीय मंत्री का आश्वासन

सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री, गंभीर मुद्दा है, किसानों से जुड़ा हुआ मामला है। माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं कि अभी दाल कितनी महंगी बिक रही थी। किसानों के घर में जब दाल की खेती हुई, किसानों ने खेती किया, लेकिन लागत मूल्य के हिसाब से सस्ती बिक रही है। ये तो पॉलिसी मैटर का सबाल है, इसलिए इस पर आप गंभीरता से विचार कीजिए कि क्या हो सकता है । इसपर माननीय मंत्री ने कहा कि हमलोग इसपर विचार कर रहे हैं।

7. **"सतत् विकास लक्ष्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं" पर विशेष बाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर**

"सतत् विकास लक्ष्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं में माननीय सदस्यों की भूमिका" पर विशेष बाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए –

1. श्री केदारनाथ पाण्डेय
2. श्री सुबोध कुमार
3. श्री अशोक चौधरी
4. डा. रामवचन राय
5. श्री रजनीश कुमार

8. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि शेष कार्यों के संपादन होने तक सदन का समय बढ़ाया जाए, सदन द्वारा इसपर सहमति प्रदान की गई।

"सतत् विकास लक्ष्यों के लिए निर्धारित कार्यक्रमों एवं योजनाओं" पर विशेष वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर

6. श्री संजीव कुमार सिंह
7. डा. दिलीप कुमार चौधरी
8. श्री संजीव श्याम सिंह
9. श्री तनवीर अख्तर

विशेष वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने वक्तव्य दिया।

(माननीय मंत्री के भाषण की बीच राजद के माननीय सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।)

9. माननीय उप सभापति महोदय द्वारा धन्यवाद ज्ञापन

माननीय मंत्री का वक्तव्य पूरा होने के उपरांत आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने अपनी भावना व्यक्त करते हुए तथा धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा- बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी।

आज के इस महत्वपूर्ण दिवस के महत्वपूर्ण वाद-विवाद में नौ माननीय सदस्यों ने भाग लिया और माननीय मंत्री ने भी अपनी पूरी बात सदन के सामने रखी, अपनी भावना इन्होंने दिल से व्यक्त की। कुछ लोगों को समय नहीं मिल सका, उसके लिए मैं क्षमाप्रार्थी हूं, कुछ लोगों को कम समय मिला, जिसकी वजह से कष्ट भी हुआ होगा, उनसे भी मैं क्षमाप्रार्थी हूं इसलिए कि हमारी एक सीमा है, इसलिए कि हमने एक प्रयास किया है कि आप लोगों की भावना का सम्मान करूं, परंतु जब सूची सामने आयी तो वह सूची लंबी हो गयी, लेकिन हमको बात भी रखनी भी, सबको अवसर भी देना था, इसलिए हमने अपने स्तर से प्रयास किया और आज जो लोग अभीतक यहां बैठे हैं, वे सभी विशेष रूप से धन्यवाद के पात्र हैं।

आप सबों को मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, बल्कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अभीतक सदन में सुन रहे हैं और सदन को चलाने में सहयोग कर रहे हैं। आप सभी बहुत-बहुत बधाई के पात्र हैं।

10. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. श्री सतीश कुमार
2. प्रो. संजय कुमार सिंह
3. प्रो. नवल किशोर यादव
4. हीरा प्रसाद बिन्द

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन 'निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक सोमवार, दिनांक 2.4.2018 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

28/3/2018

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।

ज्ञापांक- 588 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 28.3.2018

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
28-3-2018

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक,
बिहार विधान परिषद्।